रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 386] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 21, 1971/आषाढ़ 30, 1893

No. 386] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 21, 1971/ASADHA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखी जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July 1971

S.O. 2744/IDRA/29B/71/10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 713/IDRA/29B/70/1, dated the 19th February, 1970, namely:—

In the said notification, in paragraph (2), in the proviso, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

"(v) if it requires foreign exchange more than the equivalent of—

(a) rupees five lakhs or ten per cent of the additional fixed assets by way of land, buildings and machinery, whichever is higher, for the import of machinery and equipment; or

(b) ten per cent of the ex-factory value of the annual production of an article in any year, after three years of the commencement of production, for the import of components to be used in that article; or

(c) five per cent of the ex-factory value of the annual production of an article in any year or rupees five lakhs, whichever is less, for the import of raw materials (excluding steel and aluminium) to be used in that article; or".

[No. F. 13(11)/Lic. Pol./69.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1971

का० आ० 2744/आ०डी०आर०ए०/29ख/71/10—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65वां) की धारा 29ख की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 713/आई०डी०आर०ए/29ख/70/1, दिनांक 19 फरवरी, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

अन्तः अधिसूचना के पैराग्राफ 2 के परन्तुक में, धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

(5) यदि इसे निम्नलिखित से अधिक की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है:—

(क) मशीन तथा उपकरण के आयात के लिये 5 लाख रुपये अथवा भूमि, भवन तथा मशीन के रूप में अतिरिक्त स्थायी परिसंपत्ति का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, अथवा

(ख) उत्पादन प्रारंभ होने के तीन वर्ष बाद, किसी भी वर्ष में किसी एक वस्तु के वार्षिक उत्पादन का कारखाना से निकलते समय के मूल्य का 10 प्रतिशत, उस वस्तु में इस्तेमाल किये जाने वाले पुर्जे के आयात के लिये, अथवा

(ग) किसी भी वर्ष में किसी वस्तु के वार्षिक उत्पादन का कारखाने से निकलते समय के मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा 5 लाख रुपये, जो भी कम हो, उस वस्तु में इस्तेमाल किये जाने वाले कच्चे माल के आयात के लिये (स्टील और एल्युमीनियम को छोड़कर), अथवा ।"

[सं० एफ० 13(11)/एल० पी०/69.]

एस० के० सेहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENENRAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971